

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभागक्रमांक प.3(117)सूप्रौ/लेखा/08/6080
जिला कलेक्टर समस्त

जयपुर दिनांक : 19.10.12

- विषय :- जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता मद में अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत।
- संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक प.3(117)सूप्रौ/लेखा/08/2511 दिनांक 14.05.12, 3036 दिनांक 08.06.12, 4060-62 दिनांक 23.07.12, 4791 दिनांक 30.08.12 एवं 5410 दिनांक 18.09.12

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थापित इस विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु इस विभाग द्वारा बजट आवंटित किया गया था। कुछ जिला मुख्यालयों से यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता मद अतिरिक्त बजट की मांग प्राप्त हो रही है जबकि अधिकांश जिला कार्यालयों द्वारा इन मदों में किसी प्रकार से कोई व्यय नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहां एक और बकाया दायित्वों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है वहीं दूसरी ओर अन्य जिलों में राशि समर्पित होगी। इन मदों में सम्पूर्ण राशि व्यय नहीं होने के कारण वित्त विभाग अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु सहमत भी नहीं होता है। अतः कृपया यदि उपरोक्त उपमदों में आप द्वारा किसी प्रकार व्यय नहीं किया जा रहा है तो तुरन्त उस राशि को आईएफएमएस के अन्तर्गत समर्पित कर विभाग को सूचित करावे ताकि राशि अन्य जिलों को जिन्हें राशि की आवश्यकता है उन्हें आवंटित की कर व्यय की जा सके।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जिला कलेक्टर कार्यालय समस्त

मुख्य लेखाधिकारी

मुख्य लेखाधिकारी